

भाग - 1 खण्ड - उन्नीस

मध्यप्रदेश कराधान (वन विकास उपकर) नियम, 1982

वन विभाग की अधिसूचना क्र. 3774-X-2-82 दिनांक 23 अक्टूबर 1982 में मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 14 जनवरी 1983 में प्रभावित होने के संभावित व्यक्तियों को प्रारूप नियम प्रकाशित किये थे किन्तु चूंकि इन प्रारूप नियमों पर कोई युक्तियुक्त अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए अतएव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2651-X-2-83 दिनांक 6 जुलाई 1983 (राजपत्र मध्य प्रदेश (असाधारण) दिनांक 19 जुलाई 1983 पृष्ठ 2057-2058) पर अन्तिम रूप से नियमों का प्रकाशन किया जा रहा है जिससे समस्त सम्बन्धित सूचित हो सकें -

नियम

नियम 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ - (1) ये नियम मध्य प्रदेश (वन विकास उपकर) नियम, 1982 कहे जायेंगे।
(2) ये उनके म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक (19 जुलाई 1983) से प्रवृत्त होंगे।

नियम 2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो -

- (a) "अधिनियम" से अभिप्रेत - म.प्र. कराधान अधिनियम, 1982 (15/1982) से है;
- (b) "उपकर" से अभिप्रेत है 'विकास उपकर';
- (c) "निधि" से अभिप्रेत है 'वन विकास निधि';
- (d) "विक्रय मूल्य एवं प्रदाय मूल्य" से अभिप्रेत है वह मूल्य (विक्रय कर छोड़कर) जिस पर वन उपज विक्रय के लिए तैयार है या प्रदाय के लिए तैयार हैं।

नियम 3. मध्य प्रदेश वनविकास निगम द्वारा संग्रह किया गया उपकर - मध्य प्रदेश वन विकास निगम द्वारा संग्रहीत उपकर - अगले माह की, अधिक से अधिक 15 तारीख तक, इन नियमों में संलग्न प्रारूप में वसूली के विवरण के साथ प्रिन्सीपल चीफ कन्सर्वेटर फारेस्ट को संदत्त किया जायेगा।

नियम 4. एकत्रित निधि में उपकर का जमा किया जाना - अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वसूल किया गया एवं संग्रहीत उपकर - एकत्रित निधि शीर्ष - "113-फारेस्ट (d) other receipt Forest Development Cess - वन विकास उपकर - के अधीन नामे (Credited) जमा किया जाएगा।

नियम 5. एकत्रित निधि से वापस लेना - (1) पूर्ववर्ती वर्ष में राज्य सरकार द्वारा वसूल किये गये वन विकास उपकर के आम (Proceeds) के बराबर की रकम, एकत्रित निधि से प्रभारित खर्च के रूप में शीर्ष "113 फारेस्ट - ट्रान्सफर फ्राम/टू रिजर्व फण्ड-ट्रान्सफर टू फारेस्ट डेव्हलपमेन्ट फण्ड" के अधीन वापस लेने के लिए स्टेट बजट में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उपबन्ध किये जायेंगे।

(2) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 4 के उपबन्धों के अनुसार एकत्रित निधि से निकाली गई रकम-वन विकास फण्ड में शीर्ष - "829 - डेव्हलपमेन्ट एण्ड वेलफेअर फण्ड्स - (R) - अदर डेव्हलपमेन्ट एण्ड वेलफेअर फण्ड्स मध्य प्रदेश वन विकास फण्ड" के अधीन नामे जमा (Credited) की जायगी।

नियम 6. निधि का प्रवर्तन (Operation of the fund) - अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों की उपयोगिता के लिये बजट में आवश्यक प्रावधान लेखे के शीर्ष "313 फारेस्ट तथा "513 - Capital out lay on Forest" के अधीन-निधि से फायनेन्स की गई योजनाओं पर खर्च के लिये - किये जायेंगे और फण्ड से पूरी की गई रकम वसूलियों (recoveries) के रूप में समायोजित की जायेंगी और सीधे उप शीर्ष (Sub-Head) "Deduct-Amount met from Forest Development Fund under the respective major heads" के अधीन दर्शाई जायेगी।

नियम 7. निर्वचन (Interpretation) - इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।